तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 04/2025 अंतर्गत धारा–18 आर्म्स एक्ट

(GCMS No. 2025/110)

अनवानः

1. कुलवीर सिंह पुत्र बलवान सिंह जाति जाट निवासी लम्बोर बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू।

27.5.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को बार–बार आवाज लगाई गई, बार–बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांट उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांट को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक उपस्थित नही हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर